



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-22052026-272756
CG-UP-E-22052026-272756

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2497]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 20, 2026/वैशाख 30, 1948

No. 2497]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 20, 2026/VAISAKHA 30, 1948

रेल मंत्रालय

[पूर्वोत्तर रेलवे (निर्माण संगठन)]

शुद्धि पत्र

गोरखपुर, 20 मई, 2026

(प्रकाशन के बाद यह अधिसूचना दिनांक 13.04.2026 को ई-राजपत्र अधिसूचना सं. सी.जी. यू.पी.अ.- 17042026-271863 प्रकाशित पिछले अनुसूचि की जगह लेगी।)

का.आ. 2589(अ).—केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'क' के उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात की लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि जिसका संक्षिप्त विवरण इसमें उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है। विशेष रेल परियोजना अर्थात् खलीलाबाद-बहराईच नई रेल लाईन परियोजना (240.66 कि.मी.) के उत्तर प्रदेश राज्य के संतकबीरनगर जिले के मेंहदावल तहसील में निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लिए आपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उप धारा (1) के अधीन उपयुक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के सम्बन्ध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात् अपर जिलाधिकारी(वि./रा.), जिला संतकबीरनगर उत्तर प्रदेश को लिखित में किया जायेगा और उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या

विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे आक्षेपो की सुनवाई करने तथा ऐसे कोई जाच करने के पश्चात यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपो को अनुज्ञात कर सकेगा या अनुज्ञात करेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20 घ (3) की उप धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अन्तिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि कि अन्य ब्योरे उपलब्ध है और हितवद् व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपयुक्त कार्यालय में उसका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के संतकबीरनगर जिले के मेंहदावल तहसील में अन्तर्गत 01 ग्रामों का सक्षम प्राधिकारी अर्थात् अपर जिलाधिकारी(वि./रा.), जिला संतकबीरनगर के अधीन विशेष रेल परियोजना अर्थात् खलीलाबाद- बहराईच नई रेल लाइन परियोजना (240.66 कि.मी.) के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।
जिला- संतकबीरनगर, राज्य उत्तर प्रदेश।

क्रम. सं.	जिला	तहसील	ग्राम का नाम	गाटा सं.	भूमि अधिग्रहित के लिए कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल(हे. में)	कुल क्षे.
1	संतकबीरनगर	मेंहदावल	परसापाण्डेय	277	0.0130	0.3400
भूमि अधिग्रहित के लिए कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल(हे. में)					0.0130	0.3400

[फ़ा. सं. W/Con/247/BG/G/KLD-BRK/20A/Corrigendum/]

अभय कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Eastern Railway (Construction Organisation)]

CORRIGENDUM

Gorakhpur, the 20th May, 2026

(After Publication, This Notification Will Replace The Previous Schedule Published In E-Gazette Notification No. CG-UP-E-17042026-271863 Dt.13.04.2026)

S.O. 2589(E).—In exercise of the powers conferred by clause (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in schedule annexed hereto, is required for purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely **Khalilabad -Bahraich New railway line project (240.66 Km)** in the **Tehsil Mehdawal of Santkabirnagar District** in State of Uttar Pradesh hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, **Additional District Magistrate(F/R), Santkabirnagar** Uttar Pradesh in writing and shall set out the grounds there of, and the Competent Authority shall give the objector the opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project of Khalilabad-Bahraich New Line Railway project (240.66 km) in 01 Village of Tehsil Mehdawal of Santkabirnagar District in the State of Uttar Pradesh under Competent Authority Additional District Magistrate(F/R), Santkabirnagar, in the district Santkabirnagar in the State of Uttar Pradesh.

District: Santkabirnagar State: Uttar Pradesh

Sr. No.	District	Tehsil	Village Name	Plot No.	Area Propoesd for Land Acquisition (In Hec.)	Total Area
1	Santkabirnagar	Mehdawal	Parsapandey	277	0.0130	0.3400
<i>Area Propoesd for Land Acquisition (In Hec.)</i>					<i>0.0130</i>	<i>0.3400</i>

[F. No. W/Con/247/BG/G/KLD-BRK/20A/Corrigendum/
ABHAY KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer (Con.)